

भाग :

प्रस्तुतकर्ता अथवा पार्थी द्वारा रखा जाने वाला

7455/18

उपनिबन्धक राटर प्रथम चाराणसी क्रम 2018349025405

आगेदन संख्या 201800996041269

लेख या प्राथेना पत्र प्रस्तुत करने का
दिनांक

2018-11-02 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या पार्थी का नाम सकल नारायण

लेख का प्रकार विक्रय अनुबंध विलेख

प्रतिफल की धनराशि 0 / 7364000

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 20000

2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 320

3. निरीक्षण या तलाश
शुल्क

4. मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए
शुल्क

5. कमीशन शुल्क

6. विविध

7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 20320

शुल्क दसूल करने का दिनांक 2018-11-02 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2018-11-02 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के
हस्ताक्षर

7455/18

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000

दोस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

SATYAMEO JYATE
A-18-2422
Rs. 200/-
SATYAMEO JYATE COMMITTEE



G 532880

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

405

Handwritten signature




विक्रय अनुबंध विलेख (विल्डर) / (जावासीय (अकूपक)) मुखण्ड / भवन

कार्यालय का नाम : उप निबंधक - सदर प्रथम

Handwritten calculations:
7%
51600000
21. 147236 =
368700 =

150

सकल नरायण



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000
पच्चीस हजार रुपये



Rs
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES
1 NOV 2015

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 532879

(2)

1- यह विक्रय अनुबंध विलेख (बिल्डर) निम्न पक्षकारों के मध्य

निष्पादित किया गया है:-

क- श्री : सकल नरायन
पुत्र : श्री विन्सू उर्फ विश्वनाथ
पेशा : व्यापार
पता : ग्राम हासिमपुर, परगना शिवपुर, तहसील सदर, जिला

सकल नरायन



सकल



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

1 NOV 2019

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 532878

(3)

वाराणसी।

पैनकार्ड नं० : KHIPS5835Q

मोबाइल संख्या : 8601453467

विक्रेता/प्रथम पक्ष

ब- मेसर्स : भव्या ग्रुप जरिये प्रोपराइटर भगत सिंह

पुत्र : श्री वैजनाथ प्रसाद

सकल नारायण

बिना

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

- 1 NOV 2015

G 532877

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

पेशा : व्यापार

पता : मकान नं० सी.32/27-बी-2, चन्दुआ खिचपुर,
हबीबपुरा, तहसील सदर, जिला वाराणसी

पैनकार्ड नं० : ATAPS2626M

मोबाइल संख्या : 8604700009

क्रेता/द्वितीय पक्ष

सकल (1/16)

सकल



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

860574V

532876

G 532876



(5)

(प्रथम पक्ष व् द्वितीय पक्ष की परिभाषा से अभिप्राय दोनों पक्षों, उनके संबंधित वारिसों, उत्तराधिकारियों निष्पादकों, नामितियों, हस्तान्तरितियों और कानूनी प्रतिनिधियों आदि से है और इसमें ये शामिल है।)

2- विक्रय अनुबंध विलेख (बिल्डर) से सम्बंधित अचल संपत्ति के मूल्यांकन का विवरण:-

सकल नतागन

रु. 25000



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.

25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

- 1 NOV 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 532875

(6)

क- प्रतिफल :

0

ख- वास्तविक बाजारी मूल्य (रु०) :

7364000

ग- अदा किया गया कुल स्टाम्प शुल्क (रु०) : 516000

- 3- प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूर्व में विक्रय अनुबंध विलेख (बिल्डर) रजिस्ट्रीकृत नहीं कराया गया है।
- 4- विक्रय अनुबंध विलेख (बिल्डर) से सम्बंधित अचल संपत्ति का

सैकल नरामण

सैकल नरामण



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

- 1 NOV 2019

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 532874

(7)

विवरण :-

- क- सम्पत्ति का प्रकार: भूमि (आवासीय भूखण्ड/भवन)
- ख- ग्राम का नाम तथा वार्ड: लालपुर अनीला, सारनाथ
- ग- सम्पत्ति का विवरण: आराजी नं० मि.8 में से रकबा 5282.35 वर्गफीट यानी 490.92 वर्गमीटर स्थित मौजा लालपुर अनीला, वार्ड सारनाथ,

सकल न रोगी

सकल न रोगी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

भारत

TWENTY
THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

1 NOV 2019

INDIA



C 212035

प्रदेश UTTAR PRADESH

भारतीय गैर न्यायिक
भारत

(8)

परगना शिवपुर, तहसील सदर, जिला

वाराणसी।

अ- कुल भूमि क्षेत्रफल : 490.920013 वर्ग मीटर

ब- तहसील : वाराणसी

ग- जिला : वाराणसी

घ- चौहद्दी :

सकल वाराणसी

भारत



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये



TWENTY THOUSAND RUPEES

RS 20000

1 NOV 2018



C 212035

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश
गैर न्यायिक
पत्रिका

(8)

परगना शिवपुर, तहसील सदर, जिला

वाराणसी

घ- कुल भूमि क्षेत्रफल : 490.920013 वर्ग मीटर

ड.- तहसील : वाराणसी

च- जिला : वाराणसी

छ- चीहट्टी :

सकल वाराणसी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 757525 CR 757525

(9)

पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण खसरा खाता

संख्या संख्या

मकान जमीन नन्दलाल जमीन जमीन मि.8

प्रथम पक्षा सेठ व बलुआ धुरेलाल बलुआ

प्रसादा प्रसादा

अ- विक्रीत भूमि में स्थित निर्माण का विवरण (यदि कोई निर्माण हो):

सि.क. (16/11/2017)



सि.क. (16/11/2017)



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

₹ 1 OCT 2018
Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 757524

क्रम तल का प्रकार आच्छादित निर्माण वर्ष निर्माण की श्रेणी

संख्या क्षेत्रफल

5- विक्रेता के पक्ष में उक्त अचल सम्पत्ति के स्वामित्व/मालिकाना हक

निम्न स्रोत से प्राप्त हुआ है:-

• उक्त अचल सम्पत्ति विक्रेता को विरासत/उत्तराधिकार में प्राप्त हुई

सिकर/१/२०१८

सिकर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 757523

(11)


है।

उभय पक्ष निम्नवत अभिकथन करते हैं-

6- यह कि उक्त संपत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में

है, जिस पर कोई ऋण / कर अथवा अन्य कोई भी प्रभार बकाया नहीं

सकल नगरिका





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 757579

(12)

हे और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।

7- यह कि प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि को किसी अन्य को

विक्रय, दान, बंधक या अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं किया है, और

न ही इसके अंतरण के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था से आज से

₹ 5000/- (12/07)

12/07



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

(B)

31 OCT 2018

रु.5000

पाँच हजार रुपये

RS.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTIAR PRADESH

CR 757580

(13)

पूर्व कोई अनुबंध किया है।

- 8- यह कि उपरोक्त संपत्ति पर भूस्वामी / प्रथम पक्ष सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कराना चाहते हैं किंतु अन्य कारणों तथा व्यस्तता, समयाभाव, धनाभाव, / निर्माण कार्य के

सुका (कनरा/मन)

कनरा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 757536

(14)

अनुभव की कमी के कारण उक्त निर्माण कार्य कराने में असमर्थ हैं।

9- यह की द्वितीय पक्ष एक ख्याति प्राप्त अनुभवी निर्माणकर्ता है, जिन्हें

भवन आदि के निर्माण का अच्छा अनुभव प्राप्त है, उपरोक्त संपत्ति पर

निर्माण कराने में सक्षम है तथा प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष पर पूर्ण रूप

सकल नारायण

11/11





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 757537

(15)

से विश्वास है।

10- उभय पक्ष उपरोक्त संपत्ति निर्माण कार्य किए जाने हेतु निम्न शर्तों के

अधीन पाबंद होते हैं ताकि भविष्य में कोई वाद विवाद दोनों पक्षों के

मध्य ना हो तथा संबंधित संपत्ति पर निर्माण कार्य निर्धारित समय

स/06/80/5/27

इ-न-2





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 757538

(16)

अवधि में संपन्न हो सके:-

- यह कि द्वितीय पक्ष उक्त संपत्ति पर निम्न वर्णित प्रकार से निर्धारित समयावधि में निर्माण कराएगा, जिसमें प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष का

संकेत/चिह्न



संकेत





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 757557

(17)

अंश निम्न प्रकार से होगा।

बन्ध शर्तें :-

- यह कि उक्त संपत्ति के स्वामित्व संबंधी समस्त विलेख को उपलब्ध

20/06/2018

20/06/2018





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 757558

(18)

कराने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।

- यह कि द्वितीय पक्ष प्रस्तावित निर्माण में उच्च श्रेणी के सामग्री का प्रयोग करेगा।
- यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण के दौरान समस्त मूलभूत आवश्यकताओं

सकारक नतामन





उत्तर प्रदेश UTIAR PRADESH

CR 757559

CR 757559

(19)

यथा सीवेज, ड्रेनेज आदि का विशेष ध्यान रखेगा जिससे भविष्य में

कोई समस्या उत्पन्न ना हो।

- यह कि द्वितीय पक्ष प्रस्तावित निर्माण पारित मानचित्र तथा निर्माण

के उच्च मानकों के अनुरूप करेगा जिसमें समस्त सुविधाओं का ध्यान

सकल न्याय





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 755072

(20)

रखेगा।

- यह की भवन / इमारत के निर्माण कराने में जो भी वित्तीय भार आएगा, उसका वहन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाएगा। निर्माण लागत में किसी भी प्रकार से कटौती नहीं की जाएगी तथा प्रथम पक्ष द्वारा

सकल (१६७१२)०१

ISTM





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 755073

(21)

- निर्माण लागत वहन नहीं किया जाएगा।
- यह की भवन / इमारत के निर्माण में समस्त स्थानीय निकायों अथवा बिजली विभाग से विद्युत संयोजन हेतु जो भी खर्च होगा वह द्वितीय पक्ष वहन करेगा।

सकल (वर्ग 12) न



किसी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 755074

(22)

- यह की प्रस्तावित निर्माण में प्रथम दृष्टया उभय पक्षों की सहमति से तैयार किए गए मानचित्र में बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार किसी पक्ष को नहीं होगा।
- यह की दोनों पक्षों को अपने अपने हिस्से में आई संपत्ति को विक्रय,

सकल न (12/17)





₹.5000

पाँच हजार रुपये

30 OCT 2018
Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 755029

(23)

बंधक, दान आदि करने का पूर्ण अधिकार होगा। किसी भी पक्ष को भवन में निर्मित सामूहिक स्थान/ कॉमन एरिया को विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा।

- यह की उभय पक्ष के मध्य किसी प्रकार का कोई मतभेद या विवाद

सकल सदस्य

30-10-18





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 755030

(24)

उत्पन्न होने पर उसका निपटारा संपत्ति के जनपद न्यायालय में
निहित होगा।

- यह कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी प्रकार की कोई पूर्व की
देनदारी निकलती है तो उसकी अदायगी की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की

सकलवामन





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 755031

(25)


होगी तथा स्वामित्व संबंधी विवाद होने की स्थिति में उसके

निस्तारण की जिम्मेदारी भी प्रथम पक्ष की होगी।

• यह की उपरोक्त संपत्ति के निर्माण कार्य के समय यदि किसी भी

व्यक्ति के जान-माल का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की

रु. 5000/-





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 757643

(27)

विदित हो कि आराजी नं० सि० ८ में से रकम 5282.35 कर्जाकीट वाली
490.92 कर्जाकीट स्थित ब्रोजा खलपुर अलीग, वार्ड खारजाव, चरमना शिवपुर, तहसील
सदर, जिला वाराणसी प्रथम पक्ष परी सम्पत्ति है। जो प्रथम पक्ष को दिनांक 24.06.
2002 में खानगी बीव्यास में प्राप्त हुआ है। जिसका प्रथम पक्ष स्वामीगन व अध्यासी है
और प्रथम पक्ष कालीर तमहां मालिक आराजी नजदूर पर कालिज दखिल रहकर हर तरह

सकलवायन





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 757642

(28)

का मालिकाना अधिकार अमल में लाने वाले आ रहे हैं और प्रथम पक्ष का नाम भी सरकारी अभिलेख में दर्ज है, जिले लाल सिखी लकीरों से डेवलपर एजीमेंट के अन्त में लिखा गया है। प्रथम पक्ष इस बात की घोषणा व पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त आरजी में स्थित मकान हर प्रकार के नुकश नितिक्यता, सवमा, कुर्बी, जेर जमानत, रेहनदारी, बचवारी व चार्ज आदि से पाक साफ व बेअलिश है और उसके सम्बन्ध में किसी विभाग

सुकलनरायन





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 756051

(29)

वा ब्याजवाला में कोई कार्यवाही या दाद विचारणीय नहीं है और न ही आरजी उपरोक्त किसी सरकारी या गैरसरकारी प्लान या योजना के अधीन अर्जब से प्रभावित है। आरजी उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष को सभी प्रकार के स्वामित्वाधिकार मद्य तक हस्तान्तरण हस्तित है। प्रथम पक्ष अपने उपरोक्त आरजी उरार्ने स्थित मकान को विक्रित कर उस पर बहुमंजिली इमारत/फ्लैट बनाने का इच्छुक है किन्तु निर्माण का तकनीकी अनुभव न

सकल वरिमा

BT





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



CR 756052

(30)

होने के कारण स्वयं उक्त कार्य को अंजाम देने में अपने को असमर्थ महसूस कर रहा है। प्रथम पक्ष ने निर्माण कार्य एवं विकास हेतु द्वितीय पक्ष से समर्थ किया बिना प्रथम पक्ष की अपेक्षा को अनुरूप बहुमंजिली इमारत/फ्लैट के विक्रय करने व निर्माण करने का पृष्ट अनुभव है एवं तकनीकी व वित्तीय रूप से भी समर्थ होने के कारण बहुमंजिली इमारत का निर्माण करने व विकसित करने में पूर्णतः तैयार है। प्रथम पक्ष ने द्वितीय

संलग्न

संलग्न





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


CR 756080

(31)

पक्ष की क्षमता व अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए अपने व्यक्ति योजना को विकास प्रक्रिकरण से मानवित्र स्वीकृत कराकर नूतन रूप देने हेतु द्वितीय पक्ष से निवेदन किया जिस पर द्वितीय पक्ष ने आरंभी मजदूर हस्तब तकसील जैल पर विकास करने व बहुमंजिली इमारत/प्लैट निर्मित करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त किया। उक्त पक्ष के बीच उक्त विकास योजना के सम्बन्ध में जो शर्तें तय हुई हैं उसको लिखित किया जाना

रसक (16/11/18)

रसक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


CR 756081

(32)

नितान्त आवश्यक है। अतएवं पक्षगण स्वेच्छपूर्वक स्वस्थ मन नस्तिष्ठ की दशा में बिना किसी अनुचित दबाव या प्रलोभन के स्वीकृत शर्तों एवं संविदा के सम्बन्ध में यह विलोक निम्नलिखित कर अपने-अपने को व अपने-अपने उत्तराधिकारियों तथा स्थानापन्न प्रतिनिधियों को विम्बलिखित शर्तों से आबद्ध करते व होते है :-

1. यह कि द्वितीय पक्ष बहुमजिली इमारत/प्लैट या कॉम्प्लेक्स बनावे की योजना

सकलचरण





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 756300

(33)

य विचारण तैयार करेगा तथा वास्तविकी विकास प्राधिकरण, वास्तविकी अवका अन्व
सम्बन्धित विभाग से उसकी स्वीकृति करयेगा। उसमें आने वाले समस्त खर्च
द्वितीय पक्ष स्वयं वहन करेगा।

1. यह कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को डेवलपर एजीमेंट के द्वारा बुध कामप्लेक्स
खउशिन के तहत आवासीय बिल्डिंग बनाने हेतु अराजी नं०-मि०८ मीजा

सकलभारती

सकलभारती





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 756301

(34)

तालपुर तालपुर अन्वेषण, परगना सारनाथ, पार्स सारनाथ, तहसील व जिला
नारनगी अधिकृत करता है जैसा कि इस डेटापर एन्वेषण के अंत में तालपुर
जायदाद में विस्तृत रूप से वर्णित है एवं संलग्न कक्षा में लाल रंग से दर्शाया
गया है, जिसके बाबत चारनगी विकास प्रधिकरण, चारनगी में नवरा द्वितीय
पक्ष दायित्व कर अपने खर्च पर प्राप्त करावेगा।

संकर (1/11)

11/11




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 756302

(35)

3. यह कि बिल्डिंग में जो टोटल विलेजप एरिया होगा उसमें प्रत्येक फ्लोर पर प्रथम प्लस का शेयर 42.5 प्रतिशत व द्वितीयप्लस का शेयर 57.5 प्रतिशत होगा तथा उपरी तल पर भी अपने-अपने शेयर के मुताबिक भी प्रथम प्लस व द्वितीय प्लस साईज बोर्ड या होर्डिंग का टावर लगवावेगा।
4. यह कि द्वितीय प्लस कारगली विकस प्रधिकरण, कारगली का जो निदम एवं

सकल नारायण



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

₹.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 756336

(36)

शर्त होगा उसका पालन करना एवं शिक्कोरिटी अमाउण्ट है या दूसरा अमाउण्ट

है, उसे नियमानुसार डेपॉजिट के लिए जमा करना और प्रथम पक्ष कोई भी

अमाउण्ट जमा करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

5. यह कि प्रथम पक्ष इस बात का अंडरलेकिंग दे रहा है कि यदि हक के बावजूद

या किसी सह जातिक द्वारा कोई कबूली अड़यन पैदा करता है तो उस रियलि

सकल न 5/11/16





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 756337


(37)

- में यदि द्वितीय पक्ष को जो सुक़्शान होना उसकी भरपाई प्रथम पक्ष करेगा।
6. वह कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष खाली जमीन का ट्रान्साफर जो विलिंज (बुध काम्पलेक्स) बने के बाद होगा लही करेंगे, ओपेन एरिया का तारपर्य ओपेन पार्किंग स्पेस, रोड पार्क आदि।
7. यह कि द्वितीय पक्ष विलिंज तैयार करने में प्रथम पक्ष के शेयर में भी अपने

सकल नं 740



इति



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 756338

(38)

देयर को ही तरह अच्छी मैटेरियल एवं सामानों का उपयोग करेगा।

8. यह कि सम्पत्ति विहित नार्म पर जही है और पूरी तरह खुली जमीन हैं।
9. यह कि प्रथम पक्ष हर प्रकार से सहमत है कि यह द्वितीय पक्ष को हर प्रकार से सहयोग करेगा और बुप हाउसिंग के तहत बिल्डिंग तैयार करते में जहाँ बरकत स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

सकल नं 5146





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 749921

(39)

10. यह कि पूर्व में प्रथम पक्ष के परिवार के पूरे लाल बकुआ से द्वितीय पक्ष ने डेवलपर एग्जिमेन्ट कराया था और आज वर्तमान में प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बीच डेवलपर एग्जिमेन्ट हो रहा है, के डेवलपर एग्जिमेन्ट जो प्रथम पक्ष के परिवार के पूरे लाल बकुआ आरजी नं० नि० 8 होना वहाँ पर अपना हस्ताक्षर जकरत मुताबिक दस्तावेज पर करेगा।

सकल राशि



सकल राशि





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 749922

(40)

11. यह कि द्वितीय पक्ष अपने हिस्से का 57.5 प्रतिशत जो शेयर विलिडिंग बनने के बाद होगा इसके बाबत विक्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा अपने हिस्से के बादात बैंक में बचक वा लोन लेने या रखने के लिए स्वतंत्र होगा। इसी प्रकार प्रथमपक्ष भी अपने शेयर/अंश के बाबत विक्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा। द्वितीय पक्ष अपने हिस्से को विक्रय वा बचक वा किरायेदार देने के लिए स्वतंत्र

सकलगत 17/10/18



सकलगत 17/10/18






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 749923

(41)

होना प्रथम पक्ष का कोई संलिखता या हस्तक्षेप नहीं होगा।

12. यह कि बिलिंग का कक्षा बचने के बाद प्रत्येक पक्ष पर शेयर बँटवारे के बाद उक्त पक्ष 100/-रुपये के स्टाम्प पर जय शक्ता अनुबंध कर बँटवारा अपने-अपने शेयर का करेंगे जो दोनों पक्ष पर बाध्यकारी होगा।
13. यह कि द्वितीय पक्ष ने डेटलपर के बाद प्रथम पक्ष को मुवतिग



सकल नरामत





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



CR 755371

(42)

20,00,000/- (बीस लाख) रुपया जखिबे आर0टी0जी0एस0 UTR No.

BARB201811028306706919 दिनांकित 02.11.2018 बैंक ऑफ

इंडिया, वाराणसी का अदा किया है। जो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष/साथ
को, जिसके बचत पोस्ट डेबिट चेक नं० 415891 भारतीय स्टेट बैंक, शाखा
वाराणसी, वाराणसी दे रहा है।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 755372

(43)

14. यह कि आराजी मजदूर हस्त तकनीक जैल पर द्वितीय पक्ष भूतल, प्रथम व द्वितीय तल अथवा जिले तलों का निर्माण विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य हो उसका निर्माण करायेगा इसके कुल निर्मित क्षेत्रफल में प्रथम पक्ष का अंश 42.5 प्रतिशत एवं द्वितीय पक्ष का अंश 57.5 प्रतिशत होगा। यदि इसके अतिरिक्त कोई निर्माण कराया जावेगा तो उसमें भी पक्षगत का अंश उक्त





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 755373

(44)

अवुपात में ही रहेगा और ऐसे अतिरिक्त निर्माण पर जाने वाले
अवदण्ड/कम्याउटिंग खर्च भी, जमा धनराशि की रसीद के आधार पर, पदागण
उसी अवुपात में अदा करने के जिम्मेदार होंगे।

15. यह कि प्रथम पक्ष कदा व इकारार करती है कि द्वितीय पक्ष द्वारा बहुमंजिली
इमारत का मानचित्र स्वीकृत कराने की सूचना प्राप्त होते ही अन्दर सप्ताह

सककनडामत



सककनडामत



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 755338

(45)

आराजी मजदूर को रिक्त अवस्था में द्वितीय पक्ष के अध्यात्म में दे देया
ताकि द्वितीय पक्ष उस पर तब योजनानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कर सके।
यदि रिक्त अवस्था में आराजी मजदूर द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करते समय
किसी व्यक्ति द्वारा किसी किरम का अवधान उत्पन्न किया जाता है तो उसको
चुलझाने का पूर्ण दायित्व प्रथम पक्ष भू-स्वामी का होगा।

सकल नारायण

बिन





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 755339

(46)

16. यह कि द्वितीय पक्ष कारगसी विचार प्रणिकरण अथवा सम्बन्धित विभाज से मानवित्र स्वीकृत करकम्न उसके अनुसार निर्माण कार्य पूरा करने के लिए पूर्व रूप से उत्तरदायी होगा और इतमें आने वाले समस्त कार्य/धनराशि की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी निम्नले प्रथम पक्ष का कोई बस्ता सरोकार न होगा।

सकल गायन

सकल



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 755340

(47)

17. यह कि द्वितीय पक्ष स्वीकृत योजना के अनुरूप समस्त निर्माण कार्य सुगमता के अनुसार नियमों के अधीन व मानक के अनुसार निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर पूरा करावेगा तथा सभी सिनेटरी व अन्य आवश्यक फिटिंग्स भी मानक के अनुरूप ही लगावावेगा।
18. यह कि आरजी मजदूर पर प्रस्तावित मानक के अनुरूप निर्मित होना





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 756276

(48)

निश्चित हुआ है एवं कर परिधि तथा अन्य जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति
उपरोक्त वर्णित तलों को बकाकर किया जावेगा जिसमें पक्षण उपरोक्तानुसार ही
अपना-अपना अंश प्राप्त करने के इकदार होंगे।

19. यह कि पक्षण निर्मित भवन में अपने-अपने अंशों का उपयोग उपभोग चाहे
तो स्वयं करे अथवा अपने-अपने मामिलीस को अपने अंश पर काबिज करावे

सकल नदामन



हस्ताक्षर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 756277

(49)

अथवा अपने-अपने अंश का किन्तु अपनी स्वेच्छानुसार इच्छुक खरीददार/केला को करके कच्चा दखल प्रदान कर देवे इसमें किसी पक्ष को किसी प्रकार का कोई ऐतराज न होगा। प्रत्येक पक्ष को अपने-अपने अंश के निर्मित भाग व आनुपातिक भूभाग का अंतरण करावे व अंतरण विलेख तैयार कर पंजीकृत करावे का अधिकार होगा। द्वितीय पक्ष विलेख हजार के प्रसार 12 की शर्तों को

सकलदायन

सकलदायन





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 756278

(50)

पूर्ण करने के पश्चात् स्वतंत्र रूप से अपने अंश के वादत अपने अन्तर्गत के
 हाक में विद्यमान विलेख विभाजित करने के लिए अपने हस्ताक्षर से समान न
 स्वतंत्र होगा जिसके लिए प्रथम पक्ष जरिये विलेख हाका द्वितीय पक्ष को
 प्राधिकृत करता है।

20. यह कि प्रथम पक्ष जरिये विलेख हाका द्वितीय पक्ष को इस अवयव्य पत्र में

सकल चढ़ाए



दिनांक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 756246

(51)

दिये गये शर्तों की तहत निर्माण कार्य सम्पन्न हो सके इसलिए अधिकार पत्र द्वारा प्राधिकृत करते हैं कि यह प्रथम पक्ष की जनह इत अनुबन्ध पत्र के अनुसार कार्य करने के लिए जहाँ-जहाँ आवश्यकता हो वहाँ-वहाँ द्वितीय पक्ष अपना स्वयं हस्ताक्षर करे व उसी के अनुसार आवश्यक अनुमति आदि हासिल करे व निर्माण कार्य पूर्ण करवे।

सकल करायक



हस्ताक्षर






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 756247


(52)

21. यह कि योजना अनुसूच निर्मित भवन के पैसेज, गैलरी, सीढ़ी तथा भवन में आने-जाने का रास्ता और आरक्षी मजदूर का वह अंश जिस पर कोई निर्माण नहीं रहेगा बल्कि वह बशवत खुला रहेगा वे सभी कामज रहेगे जिस पर किसी भी पक्ष को किसी प्रकार का निर्माण करने अथवा उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं होगा।

सिक (क) 112/07



सिक (क) 112/07





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 756248

(53)

22. यह कि जब द्वितीय पक्ष वास्तविकी विनय प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत बनाकर प्रथम पक्ष को सूचित करेगा तथा निर्माण करने के लिए यदि आपस में मानचित्र को वास्तव कोई संशोधन होता है तो उस स्थिति में जित्त मानचित्र पर कार्य किया जाता है को बनाकर प्रथम पक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर बनाकर द्वितीय पक्ष को देमें तथा उस संशोधित मानचित्र को वर्किंग मानचित्र के रूप में

15/06/2017



15/06/2017





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 755125

(54)

उभय पक्ष स्वीकार करेंगे तथा उसके अनुरूप निर्माण कार्य होगा।

23. यह कि निर्माण कार्य के दौरान किसी आकस्मिक घटना या परिस्थितियों परमाण्व अथवा कोई पक्ष शारीरिक/वैधिक रूप से असमर्थ हो जावे तो उस दशा में उसके उत्तराधिकारी अथवा स्वाम्यापन्न प्रतिनिकिर्णों को वे समस्त अधिकार प्राप्त होंगे जो इस विलेख के अधीन परमाण्व अथवा सम्बन्धित पक्ष को प्राप्त है

सकलन (1/4)



1/4





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


CR 755123

(55)

और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर ऐसे सम्बन्धित पक्ष का उत्तरदायी
अथवा स्वनापन्न प्रतिक्रिया इस विवेक की शर्तों से पाबन्द होगा एवं उसका
अनुपातन नियमानुसार करा लेने का अधिकारी होगा।

24. यह कि द्वितीय पक्ष प्रत्येक तल पर प्रथम पक्ष के अंश में आने वाले 42.5
प्रतिशत निर्मित अंश को पूर्ण रूप से निर्मित करके प्रथम पक्ष को काटकर

सकल नदामा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 755124

(56)

कलमेन।

25. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के पूर्णता हेतु स्वयं मजदूर, इंजीनियर, लेखादार, सहभागीदार आदि नियुक्त करने का अधिकारी होगा जिसमें प्रथम पक्ष किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा किन्तु ऐसे व्यक्तियों के किसी कार्य या कार्य लोप की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की न होगी।

समक नारायण



समक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 756691

(57)

26. यह कि क्लिफ हाजा पहागन के बीच सामान्य अनुबन्ध करके देवतपर्स क्लिफ एवं सम्पूर्ण अधिकार के रूप में तहरीर हो रहा है क्लिफे अनुसार द्वितीय पक्ष निर्मित होने वाले भवन में अपने हिस्से के 57.5 प्रतिशत निर्मित क्षेत्रफल व खुले भूभाग में पूर्ण हक प्राप्त करने मुल्किल प्राप्त कर रहा है एवं उसी रूप में प्रथम पक्ष मुल्किल कक्षा 42.5 प्रतिशत निर्मित व खुले भूभाग का हक

सिकरु वरायन





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 756692

(58)

प्राप्त करेगा। खुले मूकान पर किसी प्रकार का कोई निर्माण न होगा।

27. यह कि प्रस्तुत भवन के निर्माण के पश्चात् जब तक प्रस्तुत भवन के अकारियों की हाजिरींग होहायटी अस्तित्व में नहीं आ जाती तब तक उक्त भवन के बाहरी व कामन पैसेज एवं अन्य कामन अंश की डेज-रेज सफाई व्यवस्था सामान्य गरमगत, पूजा कली एवं सुरक्षा की जिम्मेदारि पक्षतण संयुक्त

सिकल नारायण



हस्ताक्षर



भारतीय नैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

पाँच हजार रुपये

30 OCT 2018
Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 753095

(68)

73,64,000/- रुपया होता है। इसलिए सरकारी मालियत मुबलिय

73,64,000/- रुपया पर नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से मुबलिय

5,16,000/- रुपया का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

संकलन नं. 12/18

संकलन





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 753096

(69)

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने बिना किसी जोर दबाव द्वितीय पक्ष के साथ विल्टर अनुबंध विलेख में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साथ स्वरूप बिना किसी प्रलोभन के पूर्ण होशो हवास में निम्न साक्षियों के समक्ष निष्पादन अथवा हस्ताक्षर किया।

11- निष्पादन का दिनांक : 02-11-2018, स्थान : सदर प्रथम

सकल नरामण

हस्ताक्षर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 755989

(70)

साक्षीगण :-

01

साक्षी का नाम :

पिता का नाम :

निवासी :

मोबाइल संख्या :

[Handwritten signature]

श्री विशाल कुमार सोनकर

श्री सकल नारायण सोनकर

ग्राम हासिमपुर, पाण्डेयपुर आजमगढ़ मार्ग, जिला
बाराणसी।

8601453467



[Handwritten signature: सकल नारायण]

[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 755988

(71)

02

बनारसी प्रसाद

साक्षी का नाम: श्री बनारसी प्रसाद

पिता का नाम : श्री मिश्री लाल

निवासी : प्लॉट नं०-26/2, छोटालालपुर, पाण्डेयपुर, जिला
वाराणसी।

मोबाइल संख्या : 6394421864



सिक (क) नं (1) यन





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CR 755987

(72)

मसविदाकर्ता :-

(*R. K. Singh for Adm.*)
राजेश कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट

कलेक्टरी कचहरी, वाराणसी

सन्तक नारायण





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 491367


(73)

टाइपकर्ता: -


शिवम् कम्प्यूटर


कलेक्टरी कचहरी, वाराणसी

सिकरुठ न रामेव



1. रास्ते की स्थिति -
2. निर्माण की स्थिति -
3. निर्माण की प्रकृति (व्यवसायिक / आवासीय) -
4. दिशा सूचक -
5. गुप्तों/गुप्तों/सार्वजनिक बाल/गट आदि की स्थिति कुछ नहीं

सम्पत्ति का पोस्टकार्ड साईज का रंगीन फोटोग्राफ



1. प्रा

2. स्थानीय पता -
3. तृतीय पता

हस्ताक्षर सकार नारायण
 हस्ताक्षर 
 हस्ताक्षर

3. प्रतिपाल/जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर -
4. सम्पत्ति का विवरण -

सकार


- सोडपटी -
- दुरब :-
- परिचय :-
- खतर :-
- समस्या :-

6. रदाम्य देयता को करने वाले अन्य तथ्य

दिनांक -
 स्थान -

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


62AD 832566

नजरी नक्शा

आराजी नं० मि० ८ में से रकबा 5282.35 वर्गफीट यानी 490.92 वर्गमीटर स्थित भोज
लालपुर अनौला, वार्ड सारनाथ, पत्तना शिवपुर, तहसील सदर, जिला वाराणसी

पूरे लाल की जमीन

जमीन बन्दनाल सेठ व बबुआ प्रसाद



मकान प्रथम पक्ष



बबुआ प्रसाद की जमीन


शियम कम्प्यूटर
कलेक्टरी कचहरी
वाराणसी

सिकलन रामन



96293
 2018/10
 निष्पादन क्रमांक 1
 निष्पादन क्रमांक 1
 निष्पादन क्रमांक 1
 निष्पादन क्रमांक 1

श्री सोमेश्वर मरीचन, पुत्र श्री विष्णु उर्फ विधानाथ
 निवासी: शाम हासिमपुर, परगना शिवपुर, तहसील
 सदर, जिला वाराणसी।
 व्यवसाय: व्यापार
 क्रेता: 1



श्री भव्या युप जरिये प्रोपराइटर भगत सिंह, पुत्र श्री
 वैजनाथ प्रसाद
 निवासी: मकान नं० सी.32/27-बी-2, चन्दुआ छिन्पुर,
 हथौथपुरा, तहसील सदर, जिला वाराणसी।
 व्यवसाय: व्यापार



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
 पहचानकर्ता : 1

श्री विशाल कुमार सोनकर, पुत्र श्री सकल नारायण
 सोनकर
 निवासी: शाम हासिमपुर, पाण्डेयपुर आजमगढ़ मार्ग,
 जिला वाराणसी।
 व्यवसाय: अध्यापन
 पहचानकर्ता : 2



श्री बनारसी प्रसाद, पुत्र श्री मिश्री लाल
 निवासी: प्लॉट नं०-26/2, छोटालालपुर, पाण्डेयपुर,
 जिला वाराणसी।
 व्यवसाय: व्यापार




रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्तक्षर
 (डा० राजकमल)
 उप निबंधक : सुब्र प्रथम
 वाराणसी
 (अशोक कुमार श्रीवास्तव)
 कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

ने ही। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे
 नियोजित किए गए हैं।
 दिप्पणी:

क्रमांक 96897
 स्टांप दिनांक की तिथि 9/9/18
 स्टांप कायदा के अंतर्गत
 स्टांप की
 स्टांप विभाग का नाम राजकीय मुद्रा
 स्टांप संख्या - 2E 1920/19/18
 स्टांप के प्रकार की जानकारी -
 अधिभूत स्टांप का स्वरूप - अतिवारी का स्वरूप
 का प्रकार का स्वरूप - वाराणसी

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10885 के पृष्ठ 255 से 404 तक
 क्रमांक 7455 पर दिनांक 02/11/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

 (डा० राज करन)
 उप निबंधक : सदर प्रथम
 वाराणसी
 02/11/2018